



Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi - 110032.

F.No.C-35011/01/Circular/2010/ Admn.(P)/

the 08th June, 2018

CIRCULAR

It has been decided that Casual Leave and Earned Leave applications must be submitted through online Module from 11th June, 2018 onward. Therefore, all the employees are hereby directed to apply Casual Leave and Earned Leave only through online mode. No offline application shall be entertained. The online module can be accessed through CPCB website or CPCB Intra Portal. In case of any difficulties in applying online, the employees may contact Shri Archit Uprit, Scientist 'C' in I.T. Division for assistance.

All the Divisional Heads and Leave Sanctioning Authorities are advised not to entertain any offline application.

This issues with the approval of the Competent Authority, CPCB.

(R.D. Pandey)
Administrative Officer (P)

Distribution:

1. All Divisional Heads : to circulate it among the staff working under them.
2. ✓ D.H. I.T. Division : with a request to upload it on the CPCB portal.
3. Notice Boards
4. PS to CCB
5. PS to MS
6. AO Master File
7. Office Order File



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर
दिल्ली - 110032

संख्या सी-35011/01/परिपत्र/2010/प्रशासन(कार्मिक) 559 दिनांक 08.06.2018

परिपत्र

यह निर्णय लिया गया है कि आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश के आवेदन दिनांक 11 जून, 2018 से ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से किए जायेंगे। इसलिए, सभी कर्मचारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश का आवेदन करें। कोई ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मॉड्यूल पर सीपीसीबी वेबसाइट या सीपीसीबी इंटर पोर्टल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी कठिनाइयों के मामले में मदद के लिए, श्री अर्चित उपरित, वैज्ञानिक 'ग', से आई.टी. डिविजन में संपर्क कर सकते हैं। ।

सभी प्रभाग प्रमुख और छुट्टी स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार न करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(आर. डी. पांडे)

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

वितरण:-

1. सभी प्रभाग प्रभारी, के.प्र.नि.बो., मुख्यालय, कृपया इसे अपने अधिन्स्थ कर्मचारियों दिल्ली में प्रचलित करें।
2. प्रभाग प्रभारी, आई.टी. कृपया इसे सीपीसीबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
3. सभी सूचनापट्ट
4. अध्यक्ष, के.प्र.नि.बो के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव, के.प्र.नि.बो के निजी सचिव
6. प्रशासन अधिकारी की मास्टर फाइल
7. कार्यालय आदेश फाइल